रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/माघ 23, 1939
No. 78] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2018

सा.का.नि.161(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन (समूह 'क' `और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध अनुसंधान अधिकारी के पद से है, और नगर तथा ग्राम योजना संगठन, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल) भर्ती नियम, 1975 और नगर और ग्राम योजना संगठन, (ज्येष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में ज्येष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (ज्येष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-12 (78800-209200/- रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और किसी सरकारी संस्थान द्वारा आयोजित सुशासन में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण लिया हो।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अपर सचिव या संयुक्त सचिव जिनके पास	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रु.) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में पाँच वर्ष सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं- **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या भूगोल या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या सामाजिक मानविकी या लोक प्रशासन या गणित में मास्टर डिग्री हो। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में औद्योगिक विकास या शहरी समाजशास्त्र या योजना और विकास या सामाजिक और जनसांख्यिकीय समस्याओं के क्षेत्र में अनुसंधान या अध्ययन या सर्वेक्षण करने और आंकड़ों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने एवं रिपोर्ट लिखने में आठ वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीय**: i) अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या भूगोल या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या सामाजिक मानविकी या लोक प्रशासन या गणित में डॉक्टरेट हो। ii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जिसे पूर्व में इलेक्ट्रॉनिकी एवं कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन विभाग के नाम से जाना जाता था) का 'ओ' स्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।	नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के कार्य का प्रभार हो - सदस्य; और 3. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य।	

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	3* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-11 (67700-208700/- रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/- रु.) में ऐसे अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी सरकारी संस्थान द्वारा आयोजित सुशासन में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण लिया हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):** 1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अपर सचिव या संयुक्त सचिव जिनके पास नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के कार्य का प्रभार हो -अध्यक्ष; 2. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य; और 3. अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य।	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/- रु.) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में पाँच वर्ष सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं- **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या भूगोल या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या सामाजिक मानविकी या लोक प्रशासन या गणित में मास्टर डिग्री हो। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में औद्योगिक विकास या शहरी समाजशास्त्र या योजना और विकास या सामाजिक और जनसांख्यिकीय समस्याओं के क्षेत्र में अनुसंधान या अध्ययन या सर्वेक्षण करने और आंकड़ों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने एवं रिपोर्ट लिखने में तीन वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीय:** i) अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या भूगोल या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या सामाजिक मानविकी या लोक प्रशासन या गणित में डॉक्टरेट हो। ii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जिसे पूर्व में इलेक्ट्रॉनिकी एवं कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन विभाग के नाम से जाना जाता था) का 'ओ' स्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य		

पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अनुसंधान अधिकारी	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-10 (56100-177500/- रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.) में ऐसे अनुसंधान सहायक जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी सरकारी संस्थान द्वारा आयोजित सुशासन में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण लिया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अपर सचिव या संयुक्त सचिव जिनके पास नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के कार्य का प्रभार हो - सदस्य; और 3. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):** 1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अपर सचिव या संयुक्त सचिव जिनके पास नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के कार्य का प्रभार हो - अध्यक्ष; 2. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य; और 3. अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन या निदेशक, अवासान और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य।	नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टीसीपीओ/प्रशा.-III/अमृत-IIए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2018

G.S.R. 161(E).– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Town and Country Planning Organisation (Group A and Group B Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Research Officer, and the Town and Country Planning Organisation, Senior Research Officer (Geography) Recruitment Rules, 1975 and the Town and Country Planning Organisation (Senior Social Scientist) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Social Scientist, Senior Research Officer and Research Officer in the Town and Country Planning Organisation under the Ministry of Housing and Urban Affairs, namely:–

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Town and Country Planning Organisation (Senior Social Scientist, Senior Research Officer and Research Officer) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**.– The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in its columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc**.– The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Social Scientist.	1* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group A, Gazetted, Non- Ministerial.	Level-12 (Rs.78800-209200/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by Deputation including Short Term Contract

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Research Officers in level–11(Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix with five years' regular service; and Have undergone training for three weeks in Good Governance organised by any Government Institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or University or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:- (A)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level–11(Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** i) Master's Degree in Economics or Statistics or Geography or Sociology or Social Work or Social Anthropology or Public Administration or Mathematics from a recognised University or Institute. ii) Eight years experience in conducting research or studies or survey and Evaluation and Analysis of data and writing of reports in the field of Industrial Development or Urban Sociology or Planning and Development or Social and Demographic problems in the Central Government or State Government or Union Territories or University or Recognised Research Institutions or Public Sector	**Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-** 1. Chairman or Member Union Public Service Commission – Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs in-charge of the Work of Town and Country Planning Organisation –Member; and 3. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations. **Desirable:** i) Doctorate in Economics or Statistics or Geography or Sociology or Social Work or Social Anthropology or Public Administration or Mathematics. ii) Passed 'O' Level Course of National Institute of Electronics and Information Technology (formerly known as Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses). **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Research Officer	3* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group A, Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 (Rs. 67700-208700/-)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	66.67% by promotion failing which by deputation including Short Term Contract, 33.33% by deputation including Short Term Contract

(11)	(12)	(13)
Promotion: Research Officers in level–10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix with five years' regular service and have undergone training for three weeks in Good Governance organised by any Government Institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or University or Recognised Research	**Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-** 1. Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs in-charge of the work of Town and Country Planning Organisation - Chairman; 2. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation - Member; and 3. Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Deputation (Including Short Term Contract).

Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:- (A)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level–10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** i) Master's Degree in Economics or Statistics or Geography or Sociology or Social Work or Social Anthropology or Public Administration or Mathematics from a recognised University or Institute; ii) Three years experience in conducting research or studies or surveys and evaluation and Analysis of data and preparation of reports in the field of Industrial Development or Urban Sociology or Planning and Development or Social and Demographic problems in the Central Government or State Government or Union Territories or University or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations. **Desirable:** i) Doctorate in Economics or Statistics or Geography or Sociology or Social Work or Social Anthropology or Public Administration or Mathematics. ii) Passed 'O' Level Course of National Institute of Electronics and Information Technology (formerly known as Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses). **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Research Officer.	4* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group A, Gazetted, Non- Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500/-).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By Promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Research Assistant in level–7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix with three years' regular service and have undergone training for three weeks in Good Governance organised by any Government Institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering Promotion):-** 1. Chairman or Member Union Public Service Commission – Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs in-charge of the Work of Town and Country Planning Organisation - Member; and 3. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation – Member. **Group "A"Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):-** 1. Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs in-charge of the work of Town and Country Planning Organisation - Chairman; 2. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation - Member; and 3. Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation or Director, Ministry of Housing and Urban Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt .Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2018

सा.का.नि.162(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन (समूह 'क' `और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध अनुसंधान सहायक के पद से है, और शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन, समूह 'ग' (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय) और समूह 'घ' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध अन्वेषक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में अनुसंधान सहायक और अन्वेषक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (अनुसंधान सहायक और अन्वेषक) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अनुसंधान सहायक	15* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-7 (44900-142400/-रु.)	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण 1**: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या भूगोल या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या सामाजिक मानविकी या लोक प्रशासन या गणित में मास्टर डिग्री हो। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में सामाजिक आर्थिक विकास और नियोजन के क्षेत्र में आंकड़ों के संकलन एवं प्रसंस्करण तथा रिपोर्ट तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: किसी सरकारी संस्थान से शहरी और क्षेत्रीय नियोजन में सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग में दो सप्ताह का अनिवार्य समावेशन प्रशिक्षण सफलतापर्वक पूरा कर लिया हो।	15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) में ऐसे अन्वेषक जिन्होंने पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी सरकारी संस्थान से शहरी और क्षेत्रीय नियोजन में सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग में दो सप्ताह का अनिवार्य समावेशन प्रशिक्षण सफलतापर्वक पूरा	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):** 1. मुख्य नियोजक या अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

कर लिया हो। **टिप्पण 1:** अन्वेषक के पद पर विद्यमान ऐसे पदधारी जिन्होंने इन भर्ती नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में पाँच वर्ष सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	2. ज्येष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन-सदस्य; 3. ज्येष्ठतम सह नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य; और 4. अवर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य। अराजपत्रित समूह 'ख' पदों के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): 1. मुख्य नियोजक या अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन-सदस्य; 3. ज्येष्ठतम सह नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य; और 4. अवर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अन्वेषक	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35400-112400/- रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या भूगोल या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या सामाजिक मानविकी या लोक प्रशासन या गणित में मास्टर डिग्री हो। **वांछनीय:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में सामाजिक आर्थिक विकास और नियोजन के क्षेत्र में आंकड़ों के संकलन एवं प्रसंस्करण तथा रिपोर्ट तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल	लागू नहीं होता	दो वर्ष। **टिप्पण:** किसी सरकारी संस्थान से शहरी और क्षेत्रीय नियोजन में सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग में दो सप्ताह का अनिवार्य समावेशन प्रशिक्षण सफलतापर्वक पूरा कर लिया हो।	सीधी भर्ती द्वारा। पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती हैः- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में छः वर्ष सेवा की हैं; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य पद पर

की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में दस वर्ष सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**अराजपत्रित समूह 'ख' पदों के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):** 1. मुख्य नियोजक या अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य; 3. ज्येष्ठतम सह नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य; और 4. अवर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टीसीपीओ/प्रशा.-III/अमृत-।।ए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2018

G.S.R. 162(E).– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Town and Country Planning Organisation (Group A and Group B Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Research Assistant, and the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Town and Country Planning Organisation, Group 'C' (Ministerial and Non-Ministerial) and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Investigator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Assistant and Investigator in the Town and Country Planning Organisation under the Ministry of Housing and Urban Affairs, namely:–

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the Town and Country Planning Organisation (Research Assistant and Investigator) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.– The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in its columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc**.– The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.– No person, –

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Research Assistant.	15* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400/-)	Selection	Not exceeding 30 years. **Note-1:** Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note-2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: i) Master's Degree in Economics or Statistics or Geography or Sociology or Social Work or Social Anthropology or Public Administration or Mathematics from a recognised University or Institute. ii) One years' experience of collection and processing of data and preparation of reports in the field of Socio Economic Development and Planning in the Central Government or State Government or Union Territories or University or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for direct recruits **Note:** Successful completion of mandatory induction training for two weeks on Remote Sensing and Geographic Information System Application in Urban and Regional Planning from any Government Institutions.	15 % by promotion failing which by deputation including short term contract, 85% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Investigator in level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix with five years' regular service and have successfully completed mandatory induction training for two weeks on Remote Sensing and Geographic Information System Application in Urban and Regional	**Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering Promotion):-** 1. Chief Planner or Additional Chief Planner, Town and	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Planning from any Government Institutions. **Note-1:** Existing incumbents holding the post of Investigator as on the date of notification of the Recruitment Rules in level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix with three years regular service shall be eligible for consideration by the Departmental Promotion Committee for Promotion. **Note-2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Statuary or Autonomous Organisations:- (A)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' regular service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix. (B) Possessing educational qualification prescribed for Direct Recruitment under column (7). **Note-1:** The Departmental Officers in the Feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2**: Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Country Planning Organisation – Chairman; 2. Senior Social Scientist, Town and Country Planning Organisation – Member; 3. Senior most Associate Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation – Member; and 4. Under Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs – Member. **Group "B" Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) for Non-Gazetted Group "B" posts:-** 1. Chief Planner or Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation – Chairman; 2. Senior Social Scientist, Town and Country Planning Organisation – Member; 3. Senior most Associate Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation – Member; and 4. Under Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Investigator	4* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable	Not exceeding 30 years. **Note-1:** Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government

					Note-2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master's Degree in Economics or Statistics or Geography or Sociology or Social Work or Social Anthropology or Public Administration or Mathematics from a recognised University or Institute. **Desirable:** One year experience of collection and processing of data and preparation of reports in the field of Socio Economic Development and Planning in the Central Government or State Government or Union Territories or University or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations. **Note -1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority	Not applicable.	Two years **Note:** Successful completion of mandatory induction training for two weeks on Remote Sensing and Geographic Information System Application in Urban and Regional Planning from any Government Institutions.	By Direct Recruitment Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis officers from the Central or State Governments or Union Territories:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the level-5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' service in the level–4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall

is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group "B" Departmental Confirmation Committee for Non-Gazetted Group 'B' posts (for considering Confirmation):-** 1. Chief Planner or Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation – Chairman; 2. Senior Social Scientist, Town and Country Planning Organisation – Member; 3. Senior most Associate Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation – Member; and 4. Under Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.02.15 15:04:16 +05'30'